भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 1541

सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

तेलंगाना को व्यय की प्रतिपूर्ति

1541. श्री इटेला राजेंदर:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार को हैदराबाद में स्थित कुछ संवैधानिक और वैधानिक निकायों पर किए गए व्यय के लिए तेलंगाना सरकार को 408.49 करोड़ रुपये की राशि, लागू ब्याज सहित, तब तक प्रतिपूर्ति करनी होगी जब तक आंध्र प्रदेश में अलग संस्थाएं स्थापित नहीं हो जातीं और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त राशि की प्रतिपूर्ति में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): जी, हां। तेलंगाना सरकार ने दिनांक 05.07.2022 के पत्र संख्या 6/आईएसटी सेल/फिन./2022, के माध्यम से आंध्र प्रदेश सरकार से उच्च न्यायालय, राजभवन और अन्य सामान्य संस्थानों जैसे संवैधानिक और वैधानिक निकायों जिसने दोनों राज्यों को सेवा दी थी, पर किए गए व्यय के लिए 408.48 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति का अनुरोध किया था।

आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारों के साथ कई बैठकों में इस मामले पर चर्चा की गई है। दिनांक 03.02.2025 को गृह मंत्रालय में आयोजित ऐसी पिछली बैठक में, दोनों राज्य सरकारों से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के प्रधान महालेखाकारों (एजी) के साथ सामान्य संस्थानों पर व्यय का समायोजन करने का अनुरोध किया गया था। केंद्रीय गृह सचिव ने दिनांक 25.06.2025 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के महालेखाकारों द्वारा दोनों राज्यों के बीच लेखाओं को अंतिम रूप देने की सुविधा के लिए सामान्य संस्थानों पर व्यय के समाधान में तेजी लाने के लिए पत्र लिखा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय ने दिनांक 08.01.2026 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि राज्यों और राज्य सरकार दोनों के महालेखाकारों (ए एंड ई) की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आंध्र प्रदेश के वित्त विभाग को लोक निर्माण विभागों

(पीडब्ल्यूडी) के समन्वय से सामान्य संस्थानों से संबंधित आंकड़ों के समायोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, दोनों राज्यों के प्रधान महालेखाकार (ए एंड ई) को भी समायोजन प्रक्रिया की ध्यानपूर्वक निगरानी करने और इसे शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

***